

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-336/2019

रुबी कुमारी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

..... विपक्षी पार्टी (एस)

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पंकज कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

विपक्षी पार्टियों के लिए : श्री अरूण कुमार दुबे, जी०पी०-III के ए०सी०

03/10.12.2021 यह सी०एम०पी०, डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-5951/2017 को पुनःस्थापित करने के लिए दायर किया गया है, जिसे दिनांक 23.01.2019 के अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अनजाने में वह समय के भीतर आदेश का पालन नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि सिविल विविध याचिका के पैरा 7 में कारणों का उल्लेख किया है। याचिकाकर्ता बिना शर्त माफी मांगता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही रिट एप्लिकेशन को पुनःस्थापित किया जाएगा, वह त्रुटियों को दूर कर देगा।

उनके निवेदन के मद्देनजर डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0-5951/2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया गया है। याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

तदनुसार, इस सिविल विविध याचिका की अनुमति है।

(आनंदा सेन, न्याया0)